

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

आवश्यक सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक (TRE-3) एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग के संबंध में।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-26/2024) एवं विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-22/2024) का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

उक्त के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का **काउंसिलिंग दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना** में दिनांक-05.02.2025 से 07.02.2025 तक आयोजित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं करा सके हैं उनके लिए निम्नांकित सारणी के अनुसार काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है :-

दिनांक	तृतीय चरण (TRE-3) का कक्षा स्तर/पदनाम	विषय
1	2	3
08.02.2025 (शनिवार) (अन्तिम तिथि)	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1-5)	—
	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 6-10)	सभी विषय
	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11-12)	हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, लेखा, व्यवसायिक अध्ययन

2— ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, क्रिमीलेयर प्रमाण पत्र एवं अन्य के आधार पर अपत्ति दर्ज की गई है, उनके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जायेगी।

3— यदि अभ्यर्थी उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) रद्द करने का एकाधिकार विभाग का होगा।

4— उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/scstwelfare> पर भी देखी जा सकती है।


निदेशक,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02डी0/शि0स्था0-10-36/2023- 1026

पटना, दिनांक- 6.02.25

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड
करना सुनिश्चित करें।


निदेशक